

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम दतुली के खाता सं. 268, 254, 149, 223, 185, 269 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार श्रीवत्स पुत्र शश्वन्त के स्थान पर श्रीवत्स लाल पुत्र शश्वन्त शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प PDDUASP ग्राम पंचायत श्रीवत्स में दिनांक 20-6-25 को मजमेआम में सुनाया गया।



30/6/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी